<u>न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारी ::: जयसिंह (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 50/2020

सरकार बनाम भागीरथ, संतुराम पि. मातुराम, जाति–मेघवाल, निवासी– दूदवा

<u>राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत</u>

निर्णय दिनांक : 11.01.2021

<u>निर्णय</u>

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान भागीरथ, संतुराम पि. मातुराम, जाति–मेघवाल, निवासी– दूदवा द्वारा रोही मौजा दूदवा की राजकीय भूमि ख.नं. 520/366 कुल रकबा 11.51 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.05 है0 पर खाई, बाड़ बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायलान के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 15 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 33 पर
वर्ष 2020-21 में रूपये 15 कायम कि
सदर लेखाकार